

अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,  
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ.3(78)पो/SAG/ICDS/2018/160376-712 जयपुर, दिनांक 31/08/2018  
उपनिदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
महिला एवं बाल विकास विभाग, समेकित बाल विकास सेवाएं,  
समस्त। समस्त।

विषय :- किशोरी बालिकाओं के लिए योजनान्तर्गत (SAG) आंगनबाड़ी  
केन्द्रों पर संधारित किये जाने वाले रजिस्ट्रारों का क्य बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में संचालित किशोरी बालिकाओं के लिए योजनान्तर्गत  
(SAG) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संधारित किये जाने वाले रजिस्ट्रार आंगनबाड़ी केन्द्रों के  
लिए स्वीकृत आवर्तक मद की राशि में से क्य किया जाकर योजना का विभागीय  
नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करावें।

  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ.3(78)पो/SAG/ICDS/2018/160713 जयपुर, दिनांक 31/08/2018  
प्रतिलिपी:- प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वेब साईट पर अपलोड हेतु।

  
(जिज्ञासा गौड)

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)